रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY 23 NOV 1972 GOVT. OF INDIA

सं० 220] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 27, 1972/आश्विन 5, 1894

No. 220] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 27, 1972/ASVINA 5, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 27th September, 1972

SUBJECT.—*Import of (i) Fruits, all sorts, excluding coconuts and cashewnuts fresh and dried salted or preserved n.o.s. and excluding Dates [S. No. 21(a)/IV], (ii) Asafoetida [S. No. 31(b)/V] (iii) Cumin Seeds (S. No. 37/IV), (iv) Medicinal Herbs (S. No. 87-109/IV) from Afghanistan from 1st March, 1972 to 28th February, 1973.*

No. 141-ITC(PN)/72.—Attention is invited to sub-paragraph 10(a)(ii) of the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 93-ITC(PN)/72, dated the 30th June, 1972, wherein it was stated that in respect of Pomegranates (Anars) the policy will be announced separately.

2. The policy for import of Pomegranates (Anars) having been decided, the aforesaid paragraph 10(a)(ii) may be deemed to have been substituted by the following sub-paragraph:—

"(ii) For import of fresh fruits (including pomegranates):—to the extent of 70 per cent of the value of applicant's past imports of fresh fruits from Afghanistan during the year August 1970-July 1971, or to the extent of 50 per cent of the value of the applicant's best year's past imports of fresh fruits from Afghanistan in any of the 5 years, namely, August 1966—July 1967, August 1967—July 1968, August 1968—July 1969, August 1969—July 1970 and August 1970 July 1971.

NOTE.—No applicant will be granted a CCP under both the categories stated above, *i.e.* he can apply either on the basis of 70 per cent of the past imports during August 1970—July 1971 or on the basis of 50 per cent of the past imports in any of the 5 years as indicated."

3. It may be clarified that the "approved importers" who have already obtained CCP(s) for import of fresh fruits either as an 'approved importer' under paragraph 10(a)(ii) or in the category of 'others' under paragraph 10(b) of the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 93-ITC(PN)/72, dated the 30th June, 1972, and who are eligible for a CCP for a higher value in terms of this Public Notice, may, if they so desire, apply for an additional CCP in the prescribed from and manner. In such cases, the additional CCP, if otherwise admissible, will be granted for a value upto the difference between the value for which the applicant is entitled for import of fresh fruits under this Public Notice and the value for which he has obtained CCP(s) for fresh fruits under Public Notice No. 93-ITC(PN)/72, dated the 30th June, 1972. To illustrate, if an applicant has already obtaine dCCP(s) for import of fresh fruits for—say—Rs. 30,000, under Public Notice No. 93-ITC(PN)/72, dated 30th June, 1972 and his entitlement for import of fresh fruits in terms of this Public Notice comes to—say Rs. 45,000, he will be eligible to apply for the balance of Rs. 15,000 only.

4. Attention is also invited to paragraph 10(b) of the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 93-ITC(PN)/72, dated the 30th June, 1972 pertaining to "Others." It has been decided that the goods "Fresh Fruits" mentioned in the said paragraph will hereafter include 'Pomegranates' also. The entitlement of the applicants under this category for the grant of initial CCP(s) in respect of fresh fruits (including Pomegranates) will continue to be Rs. 50,000. If an applicant has already obtained initial CCP(s) for import of fresh fruits under the category "Other" in terms of Public Notice No. ITC(PN)/72, dated the 30th June, 1972 for a value less than Rs. 50,000 he may, if he so desires, apply for the balance amount for import of fresh fruits (including pomegranates) under this Public Notice.

5. Other provisions including terms and conditions governing the policy and procedure in regard to imports and exports, as stipulated in Public Notice No. 93-ITC(PN)/72, dated the 30th June, 1972 read with Public Notice No. 127-ITC(PN)/72, dated the 28th August, 1972 will apply *mutatis mutandis*.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 1972

विषय.—1-3-1972 से 28-2-1973 तक अफगानिस्तान से (1) सभी प्रकार के फलों, नारियल तथा काजू, ताजे और सूखे, नमकीन और परिरक्षित जो अन्यथा विशिष्टिकृत नहीं हैं को छोड़कर और खजूरों [क्रम सं० 21(ए)/4] को छोड़कर, (2) हींग [क्रम सं० 31(बी)/5], (3) जीरा बीजों (क्रम सं० 37/5), भेषजीय जड़ी-बूटियों (क्रम सं० 87-109/4) का आयात।

संख्या 141-आई०टी०सी० (पी०एन०)/72.—विदेश व्यापार, मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 93-आई०टी०सी०(पीएन)/72, दिनांक 30 जून, 1972 के उप-पैरा 10(ए)(2) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिस में यह उल्लेख किया गया था कि अनारों के सम्बन्ध में नीति अलग से घोषित की जाएगी।

2. अनारों के आयात के लिए नीति का निर्णय कर लिया गया है, पूर्वोक्त पैरा 10(ए)(2) को निम्नलिखित उप-पैरा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :—

"(2) ताजे फलों (अनारों सहित) के आयात के लिए :—अगस्त 1970-जुलाई 1971 वर्ष के दौरान अफगानिस्तान से आवेदकों के ताजे फलों के भूत कालीन आयातों के 70 प्रतिशत की सीमा तक अथवा पिछले पांच वर्षों अर्थात् अगस्त 66-जुलाई 67, अगस्त 67-जुलाई 68, अगस्त 68-जुलाई 69, अगस्त 69-जुलाई 70, अगस्त 70-जुलाई 71 में से आवेदक के अफगानिस्तान से ताजे फलों के सब से अच्छे वर्ष के भूतकालीन आयातों के मूल्य के 50 प्रतिशत की सीमा तक।

टिप्पणी :—किसी भी आवेदक को उपर्युक्त दोनों श्रेणियों के अन्तर्गत सीमाशुल्क निकासी परमिट स्वीकृत नहीं किए जाएंगे अर्थात् वह या तो अगस्त 70-जुलाई 71 के दौरान के भूतकालीन आयातों के 70 प्रतिशत के आधार पर आवेदन कर सकता है अथवा यथा संकेतित 5 वर्षों में से किसी भी वर्ष के भूत-कालीन आयातों के 50 प्रतिशत के आधार पर आवेदन कर सकता है।"

3. इसे स्पष्ट कर लिया जाए कि ऐसे "अनुमोदित आयातक" जिन्होंने पहले से ही विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या : 93-आई०टी०सी०(पीएन)/72, दिनांक 30 जून, 1972 की कंडिका 10(ए)(2) के अन्तर्गत या तो 'अनुमोदित आयातक' के रूप में अथवा कंडिका 10(बी) के अन्तर्गत 'अन्य' की श्रेणी के रूप में सीमाशुल्क निकासी परमिट (परमिटों) प्राप्त कर लिए हैं और वे जो प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के अनुसार अधिक मूल्य के सीमाशुल्क निकासी परमिट के लिए पात्र हैं, यदि वे ऐसा चाहें तो अतिरिक्त सीमाशुल्क निकासी परमिट के लिए निर्धारित प्रपत्र में तथा विधि अनुसार आवेदन कर सकते हैं। ऐसे मामले में आवेदक की अतिरिक्त सीमाशुल्क

निकासी परमिट यदि वे अन्यथा रूप में स्वीकार्य हैं, तो प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के अन्तर्गत ताजे फलों के आयात के जिस मूल्य के लिए वह हकदार हैं, और सार्वजनिक सूचना संख्या: 93–आई०टी०सी (पीएन) 72, दिनांक 30 जून, 1972 के अन्तर्गत ताजे फलों के आयात के जिस मूल्य के लिए उसने सीमाशुल्क निकासी परमिट (परमिटों) प्राप्त कर लिया है उन दोनों के बीच के मूल्य में आने वाले अन्तर के मूल्य तक के लिए स्वीकृत किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि एक आवेदक ने सार्वजनिक सूचना संख्या: 93–आई०टी०सी० (पी०ए०न०)/72, दिनांक 30 जून, 1972 के अन्तर्गत ताजे फलों के आयात के लिए 30,000 रुपये का सीमाशुल्क निकासी परमिट (परमिटों) प्राप्त कर लिया है और प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के अनुसार ताजे फलों के आयात के लिए उसकी हकदारी 45,000 रुपए के लिए बनती है, तो वह केवल शेष 15,000 रुपए के लिए ही आवेदन करने का पात्र होगा।

4. विदेश व्यापार मंत्रालय का सार्वजनिक सूचना संख्या: 93–आई०टी०सी० (पी०एन)/72, दिनांक 30 जून, 1972 का "अन्य" से सम्बन्धित पैरा 10(बी) की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है। यह निश्चय किया गया है कि अब से बाद में उक्त पैरा में उल्लिखित माल "ताजे फलों" में "अनार" भी शामिल होंगे। ताजे फलों (अनारों सहित) के सम्बन्ध में प्रारम्भिक सीमाशुल्क निकासी परमिट (टों) की मंजूरी के लिए इस श्रेणी के अधीन आवेदकों की 50,000 रुपये की हकदारी जारी रहेगी। यदि किसी आवेदक ने सार्वजनिक सूचना संख्या: 93–आई०टी०सी० (पी०एन)/72, दिनांक 30 जून, 1972 की शर्तों के अनुसार "अन्य" की श्रेणी के अधीन ताजे फलों के आयात के लिए पहले ही 50,000 रुपये से कम मूल्य के लिए प्रारम्भिक सीमाशुल्क निकासी परमिट प्राप्त कर लिए हैं तो वह, यदि ऐसा चाहता है तो, इस सार्वजनिक सूचना के अधीन ताजे फलों (अनारों सहित) के आयात के लिए शेष धनराशि के लिए आवेदन कर सकता है।

5. दूसरी शर्तें सार्वजनिक सूचना संख्या: 127–आई०टी०सी० (पी०एन)/72, दिनांक 28 अगस्त, 1972 के साथ पढ़ी जाने वाली सार्वजनिक सूचना संख्या: 93आई०टी०सी० (पी०एन)/72, दिनांक 30 जून, 1972 में यथा अनुबन्धित आयातों और निर्यातों के सम्बन्ध में नीति और क्रियाविधि को नियंत्रित करने वाली शर्तों सहित आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगी।

एम० एम० सेन,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972

रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY 23 NOV 1972 GOVT. OF INDIA

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 221] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 27, 1972/आश्विन 5, 1894

No. 221] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 27, 1972/ASVINA 5, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICES

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 27th September, 1972

SUBJECT.—*Scheme for the licensing of restricted varieties of Indian cotton mill-made textiles for export to the U.S.A. during the licensing year 1st October, 1972 to 30th September, 1973.*

No. PN(USA LICENSING)/1 of 1972.—The Scheme relates to the exports of all the 64 ICTA categories of cotton millmade textiles from India to the USA under the quota for the licensing year 1st October, 1972 to 30th September, 1973.

2. For purpose of licensing, the shipment period will be divided into 2 six monthly period. 1st October, 1972 to 31st March, 1973 and 1st April, 1973 to 30th September, 1973.

3. Exports will be allowed from any port in India.